XXXIX(a)BR(H)-11

बाबूलाल विरूद्ध सुखनंदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2480–दो/12

जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]		

प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 24/अ–6/अ/2010–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–8–12 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है ।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

3– उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण तहसील के आदेश दिनांक 23–[illegible]–12 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयने उनके समक्ष प्रस्तुत शपथपत्रों की प्रति आवेदक को देकर प्रकरण कूट परीक्षण हेतु नियत किया है जो कि न्याय की सामान्य प्रकिया है । आवेदक को कूट परीक्षण का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त है और वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समख रखने हेतु स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2012/अशोक नगर R. 2480-II/12

बाबूलाल पुत्र हरलाल कलार, ग्राम लौहारी
तहसील चंदेरी, जिला अशोक नगर

.................आवेदक

बनाम

1. सुखनंदन पुत्र प्रेमनारायण कलार, ग्राम तारई
तहसील चंदेरी जिला अशोक नगर
2. सुग्रीव, प्रदीप पुत्रगण हरीराम
ग्राम लौहारी, तहसील चंदेरी,
जिला अशोक नगर ....अनावेदक

बाबूलाल
6-5-2012

4.35 PM